

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

09 सितम्बर, 2021 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

[षष्ठम् (मानसून) सत्र]

18 भाद्र, 1943 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-06-09-2021, 07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (05)- सुश्री अम्बा प्रसाद, श्री उमाशंकर अकेला एवं श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-06-09-2021, 07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (06)- सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, सुखराम उरौव एवं श्री घमरा लिण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, विबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री केदार हजरा, नवीन जयसवाल एवं श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)

- (08)- श्री लम्बोदर महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (09)- सर्वश्री नलिन सोरेन,स्टीफन मराण्डी एवं श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (10)- श्री दिनेश विलियम मराण्डी,स०वि०स० एवं सुश्री अम्बा प्रसाद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-07-09-21 एवं 08-09-2021 से स्थगित)
- (11)-श्री बंधु तिकी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक- 08-09-2021 से स्थगित)
- (12)- प्रो० स्टीफन मरांडी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक- 08-09-2021 से स्थगित)
- (13)-श्री निरल पुरती,स०वि०स० एवं श्री सुखराम उरौंव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक- 08-09-2021 से स्थगित)
- (14)-श्री दशरथ गागराई,स०वि०स० एवं श्री मथुरा प्रसाद महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक- 08-09-2021 से स्थगित)
- (15)-श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक- 08-09-2021 से स्थगित)
- (16)- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

- (17)- श्री वैद्यनाथ राम,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (18)- श्रीमती पुष्पा देवी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (19)- श्री भूषण तिर्की,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)- सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा, डॉ० नीरा यादव एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

**-: समितियों का गठन :-**

- (21)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

**-: सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना :-**

- (22)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (23) -याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

**-: विधायी कार्य :-**

**-: झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक,2021 :-**

- (24)- मुख्यमंत्री (प्रभारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक,2021"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (25)- मुख्यमंत्री (प्रभारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (26)- मुख्यमंत्री (प्रभारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक,2021"पर विचार हो।
- (27)- मुख्यमंत्री (प्रभारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक,2021"स्वीकृत हो।

-:झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2021:-

- (28)- पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2021"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (29)- पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (30)- पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2021"पर विचार हो।
- (31)- पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2021"स्वीकृत हो।

-: झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2021 :-

- (32)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ०रामेश्वर उरॉव, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (33)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ०रामेश्वर उरॉव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

-: 05 :-

- (34)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरौव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार हो।
- (35)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरौव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो।

-: झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021 :-

- (36)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (37)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (38)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021" पर विचार हो।
- (39)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021" स्वीकृत हो।

-: गैर सरकारी संकल्प :-

- (40)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

- (41)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
- (42)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
- (43)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

महेन्द्र प्रसाद  
सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०३०...../-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२११५/वि०स०,राँची,दिनांक-०८।०९।२१.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड,राँची/ लोकसभा,नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर  
०८.०९.२०२१  
(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२११५/वि०स०,राँची,दिनांक-०८।०९।२१.....

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर  
०८.०९.२०२१

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२११५/वि०स०,राँची,दिनांक-०८।०९।२१.....

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/ वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर  
०८.०९.२०२१

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

३  
०८-०९